# - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म<u>०प्र०</u> {समक्ष-अमित कुमार गुप्ता}

विविध आप0प्र0क0 09 / 2011 संस्थापित दिनांक-01.04.2011

A Parelo श्रीमती रचना उर्फ कल्लो देवी पत्नी राजेन्द्रसिंह रामरतन जाटव आयु 29 साल, जाति जाटव निवासी वहारपुरा परगना मेहगांव, हाल निवासी चम्हेडी थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

आवेदिका

#### बनाम

राजेन्द्रसिह पुत्र जयसिंह जाटव उम्र 31 साल निवासी ग्राम बहारपुरा थाना मेहगांव तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0 ...... अनावेदक

#### ::- आदेश -::

## (आज दिनांक 30.11.16 को पारित किया)

इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 125 दप्रसं0 1973 (जिसे अत्र पश्चात् ''संहिता'' कहा जाएगा), वास्ते अनावेदक से भरणपोषण् राशि दिलाए जाने बावत्, का निराकरण किया जा रहा है।

- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर पूर्व में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 07.10.2011 को पारित किया था जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण क्रमांक 29 / 2015 राजेन्द्रसिंह विरूद्ध रचना में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा आदेश दिनांक 12.03.15 के माध्यम से एकपक्षीय आदेश दिनांक 07.10.11 अपास्त करते हुए अनावेदक को जबाव व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर गुण-दोष के आधार पर निराकरण किए जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तन फलस्वरूप दिनांक 20.03.16 को पुनः प्रारंभ हुआ। जबाव साक्ष्य उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है।
- आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका की अनावेदक से शादी आवेदन प्रस्तुति के लगभग तीन वर्ष पूर्व ग्राम चम्हेडी में संपन्न हुई थी जिसमें आवेदिका के पिता द्वारा क्षमता अनुसार दान दहेज दिया था किन्तु विवाह के समय से ही आवेदिका के ससुराल पह्चते ही उसके पति अनावेदक व उसके परिवार जन दहेज के रूप में हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल और

पचास हजार रूपये की मांग करने लगे, उसकी मारपीट करते रहे तथा दिनांक 27.03.11 को उसे पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निष्कासित कर दिया तब से आवेदिका अपने माता पिता के घर ग्राम चम्हेडी में निवास करने लगी। आवेदिका अनपढ, अशिक्षित ग्रामीण महिला है जो अपना भरण पोषण करने में अस्मर्थ है और उसके पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं हैं। अनावेदक के पिता के पास दस वीघा कृषि भूमि तथा पशु पालन का व्यवसाय है। स्वयं अनावेदक कलर पुताई का काम करता है और सात हजार रूपये माह की आय अर्जित करता है, उसके पास आय के पर्याप्त साधन हैं। अतः आवेदिका द्वारा अपने भरण पोषण के लिए तीन हजार प्रतिमाह दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

- 4. अनावेदक द्वारा आवेदिका का उसकी विवाहिता पत्नी होने का तथ्य स्वीकार करते हुए शेष अभिवचनों का प्रत्यख्यान किया है। यह लेख किया है कि अनावेदक व उसके परिवारजन द्वारा आवेदिका व उसके परिवार से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की और न हीं कोई मारपीट की। दिनांक 07.03.11 को भी कभी कोई मारपीट नहीं की गयी। आवेदिका बिना किसी कारण के स्वेच्छया अपनी मां के पास रह रही है जबिक अनावेदक आज भी आवेदिका को अपने साथ रखने को तैयार है। आवेदिका हष्टपुष्ट महिला है तथा सिलाई कार्य करने में पारंगत है, स्वयं दूसरी महिलाओं के कपडे मजदूरी पर सिलकर 6 हजार रूपये की मासिक आय अर्जित कर लेती है। आवेदिका की आय स्वयं भरण पोषण के लिए प्याप्त है वह किसी प्रकार की भरणपोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अनावेदक स्वयं मुश्किल से 30—35 हजार रूपये वार्षिक कमा पाता है। अतः आवेदनपत्र को सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।
- 5 प्रकरण मे मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
  - 1-क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
  - 2-क्या आवेदिका अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
  - 3-क्या अनावेदक आवेदिका के भरण पोषण करने में इंकार या उपेक्षा कर रहा है
  - 4-क्या आवेदिका भरण पोषण राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
  - 5-सहायता एवं व्यय।

#### सकारण निष्कर्ष

6. प्रकरण में आवेदिका की ओर से आवेदिका श्रीमती रचना आ0सा01, श्रीमती मीरा आ0सा0 2, शिवनारायण आ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अनावेदक की ओर से स्वयं राजेन्द्र अना0सा0 1 को परीक्षित कराया गया।

## विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष

- 7. आवेदिका की ओर से अपने आवेदन पत्र में अनावेदक के पिता के पास दस वीघा जमीन होने और अनावेदक का पुताई का कार्य करके करीब सात हजार रूपये महीने की आय होने के संबंध में तथ्य लेख किया है। अपने मुख्य परीक्षण में अनावेदक का अहमदाबाद में कलर का काम करने व उसके पास दस वीघा जमीन होने का कथन किया है। ऐसा ही कथन मीरा आ0सा0 2 द्वारा भी किया गया है। अनावेदक ने अपने जबाव में उसकी वार्षिक आय 30—35 हजार रूपये लेख की है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में 15—20 हजार रूपये महीने कमा लेने के सुझाव से इंकार किया है और स्वयं कथन किया है कि अहमदाबाद में रहकर मजदूरी का काम करता है। अनावेदक के पास दस वीघा कृषि भूमि है इसके संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हैं। साथ ही आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में दस वीघा कृषि भूमि अनावेदक के पिता की होना लेख की है और कथन में दस वीघा कृषि भूमि अनावेदक की बताई है जो कि विरोधाभासी है। ऐसे में अनावेदक के कृषि भूमि की आय के संबंध में अभिलेख पर सुदृढ साक्ष्य नहीं हैं।
- दप्रस की धारा 125 के भरण पोषण संबंधी मामलों में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पक्षकारों को अपना मामला अधिसंभावना की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करना होता है। युक्तियुक्त संदेह से परे तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत राधामणि विरूद्ध मोनू 1986 सी0आर0एल0जे0-1129 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है। इस मामले में अनावेदक की प्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होने के संबंध में उसकी आय कृषि भूमि से होती हो, इस संबंध में स्पष्ट व संपुष्टकारी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं किन्तु अनावेदक किसी शारीरिक निर्योग्यता या बीमारी से ग्रसित हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं हैं। स्वयं अनावेदक अपने प्रतिपरीक्षण में अहमदाबाद में मजदूरी करने का कथन करता है ऐसी दशा में न्यायालय का ध्यान दुर्गासिंह विरुद्ध प्रेमबाई 1990 सी0आर0एल0जे0-2065 की ओर आकर्षित होता है जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है कि कोई व्यक्ति योग्य शरीर वाला है और कमाने की स्थिति में हैं तो भरण पोषण के मामले में उसे पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि उसके पास कोई व्यक्ति नहीं हैं। माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत हरदेवसिंह विरूद्ध स्टेट आफ यू०पी०–1995 सी0आर0एल0जे0-1652 इलाहबाद में तो यह तक अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो उसका यह प्राथमिक दायित्व है कि वह पत्नी का भरण पोषण करे। पति का साधू हो जाना उसे पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं करता है। इस प्रकार से उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में जहां अनावेदक किसी बीमारी या गंभीर शारीरिक निर्योग्यता के अधीन नहीं हैं तो ऐसी दशा में वह प्यप्ति साधन वाला व्यक्ति होना प्रमाणित पाया जाता है। यद्यपि भरण पोषण की मात्रा में उसकी आय को विचार में लिया जा सकता है।

## विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का निष्कर्ष

9. आवेदिका श्रीमती रचना आ०सा० 1 का उसके अनपढ, ग्रामीण निर्धन महिला होने का तथ्य अपने आवेदनपत्र में लेख किया है जबिक अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन किया है कि उसके पास वर्तमान में आजीविका (जीवन निर्वाह) का कोई साधन नहीं है। किन्तु आवेदिका स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में यह कथन करती है कि उसकी मां के पास ग्राम चम्हेडी में दस वीघा जमीन हैं, किण्डका 4 में कथन करती है कि उक्त जमीन से उसकी व उसकी मां की खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार से आवेदिका द्वारा उसके भरण पोषण करने में अस्मर्थ होने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किया है। आवेदिका की आय के आधार पर, यदि आवेदिका की आय इतनी कम है कि उसके व अनावेदक के जीवन स्तर व रहन सहन तथा खर्च में अत्यधिक अंतर या विरोधाभास हो। अनावेदक का विचारणीय प्रश्न क0 1 में मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना प्रमाणित पाया गया है और आवेदिका जो उसकी मां के पास स्थित भूमि से भरणपोषण करने में समर्थ बता रही है, किण्डका 3 में उसके मायके में आवेदिका के अलावा अन्य कोई न होना बताया गया है ऐसी दशा में आवेदिका व अनावेदक के जीवन स्तर में सारवान विरोधाभास नहीं हैं। दोनों के जीवन स्तर में एसा भेद नहीं हैं कि एक व्यक्ति राजा के समान जीवन निर्वाह करता हो और दूसरा अत्यंत दीन स्थिति में हो। अतः आवेदिका के अपने भरण पोषण करने में अस्मर्थ होने का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न कमांक 3 व 4 का निष्कर्ष

10. आवेदिका ने अनावेदक से प्रथक निवास रत होने का कारण दहेज के लिए मांगकर मारपीट करने और उसे घर से निष्कासित कर देने का लेख किया है। इसके विपरीत आवेदिका अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में इस तथ्य से अनिभन्न है कि उसकी शादी के पहले कितने रूपये तय हुए थे और इस तथ्य से भी अनिभन्न है कि उसकी शादी के पहले कितने रूपये दे दिए गए और कितने रूपये बकाया थे, यह स्वीकार करती है कि शादी में माता पिता ने जो सामान दिया था उसे ससुराल वालों ने सहर्ष रख लिया और कोई सामान वापस नहीं किया। आवेदिका जो उसे ससुराल से पहने हुए कपडों में निकाल देने के संबंध में आवेदन में तथ्य लेख करती है वह प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में ध्यान न होना बताती है कि वह अंतिम बार अपनी ससुराल में किस सन व माह में गयी थी, यह भी नहीं बता सकती कि वह अपनी मां के यहां रहने के लिए कितने साल पहले आई किन्तु उक्त माह क्वार (हिन्दू माह) का होना बताती है और यह कथन करती है कि क्वार के महीने में उसका भाई उसे लेने के लिए गया था उसके बाद से वह अपने पिता के घर रह रही है। इस प्रकार से आवेदिका अपने आवेदन पत्र से मिन्न उसके भाई द्वारा ससुराल से ले जाने के संबंध में कथन करती है।

- 11. आवेदिका के अनावेदक से प्रथक निवासरत होने और अनावेदक की भरण पोषण से उपेक्षा या इंकार के तथ्य के निर्धारण के संबंध में आवेदिका की प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 महत्वपूर्ण हैं जो स्वीकार करती है कि उसे अनावेदक ने साथ रखने के लिए दावा मान0 अपर जिला जज गोहद के न्यायालय में किया है और यह स्वीकार करती है कि उसने अनावेदक के साथ रहने के लिए कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं की, यह स्वीकार करती है कि उसकी मां चाहती है कि अनावेदक उनके साथ आकर ग्राम चम्हेडी में रहे और देखभाल करे। यह भी स्वीकार करती है कि उसे उक्त दस वीघा खेती करने में आवेदिका और उसकी मां को परेशानी होती है। किण्डका 4 में स्वीकार करती है कि अनावेदक ग्राम चम्हेडी में नहीं रहना चाहता है और किण्डका 4 में ही स्वीकार करती है कि उसके घर में कोई अन्य न होने से वह अपनी मां को छोडकर नहीं जा पा रही है। इस प्रकार से आवेदिका की अपने प्रतिपरीक्षण में की गयी स्वीकृति से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदिका स्वयं अनावेदक के साथ अपनी मां के पास कोई रहने के लिए न होने के कारण जाने से इंकार कर रही है। जबिक अनावेदक द्वारा आवेदिका को अपने साथ रखने अर्थात दामपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु आवेदन पेश किया है जो कि अभिलेख पर स्वीकृत है। ऐसे में आवेदिका का स्वयं ही अनावेदक के साथ रहने से इंकार करने का तथ्य स्पष्ट हो रहा है।
- 12. संहिता की धारा 125 की उपधारा 4 के अधीन आवेदिका के पक्ष में भरण पोषण आदेश किस परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है, यह अपवाद दिया गया है जो शब्दशः निम्नानुसार है
- "(4) N0 wife shall be entitled to receive an [allowance for the maintenance or the interim maintenance expenses of proceeding, as the case may be,] from her husband under this section if she is living in adultery, or if, without any sufficient reason, she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent."

इस प्रकरण में आवेदिका जो कि अपनी माँ के साथ रहना चाहती है इस कारण से वह अनावेदक के साथ निवास नहीं कर रही है और अनावेदक जो मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद में रहता है, उसके साथ रहने के लिए एक भी बार न जाना बताती है। ऐसे में वह बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनावेदक से प्रथक रह रही है। आवेदिका द्वारा अपने पित अर्थात प्रत्यर्थी के साथ रहने से इंकार करने का कोई न्यायसंगत कारण नहीं हैं। अतः आवेदिका अनावेदक से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं।

### सहायता एवं व्यय

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथ्यों की अधिप्रबलता के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है किन्तु आवेदिका का अनावेदक से बिना किसी न्यायसंगत व युक्तियुक्त कारण के उसे दामपत्य अधिकारों से वंचित करते हुए प्रथकतः निवास

करना प्रमाणित पाया गया है। अतः आवेदिका अनावेदक से भरणपोषण के रूप में कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारोपरांत निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर पारित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

All All Parents

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश